

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण कमांक0-343 / 16
संस्थापित दिनांक 22 / 07 / 16
फाईलिंग नम्बर 233504002052016

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द,
 थाना आमला जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

महेश पिता टिटिंग बामने, उम्र 37 वर्ष,
 जाति चमार, व्यवसाय मजदूरी, नि0ग्राम छावल,
 तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-09 / 02 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 08 / 07 / 2016 को समय 14:20 बजे या उसके लगभग आरोपी की दुकान के सामने आम रास्ता ग्राम छावल, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार, फरसानुमा हथियार को अपने आधिपत्य में रखा, जो कि म0प्र0 राज्य की अधिसूचना कं0-6312-6552(2) बी (1) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आज दिनांक 08 / 07 / 16 को हमराह आर 526 अंकित मीना एवं मय शासकीय वाहन चालक पवन के अपराध विवेचना हेतु ग्राम रतेड़ा खुर्द एवं रतेड़ा कला पहुँचे थे कि जरिए मोबाईल फोन के सूचना मिली की ग्राम छावल में महेश बामने उसकी दुकान के सामने उसके हाथ में फरसा लेकर लोगों को गाली गुप्तार कर डरा धमका रहा है। सूचना तत्पक्ष हेतु हमराह स्टाफ एवं मय शासकीय वाहन के मौके पर ग्राम छावल पहुँचे तो महेश पिता टिटिंग बामने उसके हाथ में एक लोहे का धारदार फरसानुमा हथियार लेकर गांव एवं मोहल्ले के लोगों के साथ गाली गुप्तार कर डरा धमका रहा था और बोल रहा था आप लोगों ने उसकी शिकायत थाने में कर उसकी शराब पकड़वाई है जिसे मौके पर उपस्थित पंचान मधुलाल करारे, संतोष गोहे, रामनाथ पाल की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा हथियार के संबंध में कागजात आदि के बारे में पूछा तो कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया, जिसे मौके पर आरोपी महेश बामने के कब्जे से समक्ष पंचान

मधूलाल करारे एवं संतोष गोहे दोनों निवासी छावल के दिनांक 08/07/16 के 14:20 बजे गिरफ्तार किया गया।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 6 है लेखबद्ध किया गया। जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 349/16 में 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 08.07.16 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-1 तैयार किया गया है। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया है। दिनांक 08.07.16 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्शपी-2 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण करने के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— :न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

“क्या आपने दिनांक 08/07/2016 को समय 14:20 बजे या उसके लगभग आरोपी की दुकान के सामने आम रास्ता ग्राम छावल, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार, फरसानुमा हथियार को अपने आधिपत्य में रखा?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :- **विचारणीय प्रश्न क0 1 का निराकरण**

6— अभियोजन साक्षी पंचमसिंह (अ0सा04) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि मोबाईल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छावल में महेश बामने उसकी दुकान के सामने हाथ में फरसा लेकर लोगों को गाली देकर डरा धमका रहा है। सूचना प्राप्त होने पर मय स्टॉफ के ग्राम छावल पहुँचे तो महेश पिता टिटिंग बामने उसके हाथ में एक लोहे का धारदार फरसानुमा हथियार लेकर गांव एवं मोहल्ले लोगों के साथ गाली गुप्तार कर डर धमका रहा है और बोल रहा था कि उन लोगों ने उसकी शिकायत थाने में कर उसकी शराब पकड़वाई है। मौके पर उपस्थित मधुलाल, संतोष, रामनाथ पाल की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा हथियार के संबंध में कागजात आदि के बारे में पूछा तो कोई संतोष जनक जवाब नहीं दिया। अभियुक्त महेश बामने के कब्जे से समक्ष पंचान मधुलाल करारे एवं संतोष गोहे दोनों निवासी छावल के दिनांक 08/07/16 के 14:10 बजे जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 1 बनाया जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 2 बनाया जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी संतोष, मधुलाल, रामनाथ के कथन उनके

बताए अनुसार लेखबद्ध किया। उसके पश्चात् थाना आकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 6 लेखबद्ध किया जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

7— यह गवाह विवेचना अधिकारी है और इस गवाह ने संपूर्ण साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि लोहे की धारदार फरसानुमा हथियार की लंबाई चौड़ाई क्या थी। क्योंकि प्रत्येक फरसा प्रतिबंधित आकार के नहीं माने जा सकते। साथ इस गवाह ने रवानगी एवं वापसी के संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं किया है। इस गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि अभियुक्त का लोहे का एक फरसा किस स्थान से जप्त किया गया है। साथ ही इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में व्यक्त किया है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह रतेड़ाकला और रतेड़ाखुर्द कितने बजे पहुँचा था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसे आज यह भी याद नहीं है कि घटना स्थल पर कितने बजे पहुँचा था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि उसे शराब बेचने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उसने आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया है। अर्थात् इस गवाह को घटना स्थल पर जाने का समय याद नहीं है और घटना स्थल पर कितने बजे पहुँचा, वह भी याद नहीं है। जबकि यह गवाह विवेचना अधिकारी है। यह गवाह घटना स्थल पर पहुँचने का समय अपनी साक्ष्य से स्पष्ट कर सकता है जिससे घटना घटित होने के तथ्य को माना जा सके।

8— अभियोजन साक्षी संतोष (अ0सा01), अभियोजन साक्षी रामनाथ (अ0सा02) ने सम्पत्ति जप्ती प्र0पी0 1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 2 के साक्षी हैं और उक्त दोनों गवाहों ने सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र0पी0 1 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 2 पर समर्थन नहीं किया है। साथ ही प्रतिपरीक्षा में साक्षी संतोष ने एवं साक्षी रामनाथ ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। अभियोजन साक्षी मधु (अ0सा03) जो कि प्रकरण का स्वतंत्र साक्षी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में स्पष्ट कहा है कि उसके साथ गांव के 10-12 महिला शराब बंद करने को खड़ी थी, अब उसने शराब बेचना बंद कर दी। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार स्वयं इस गवाह के द्वारा मुख्यपरीक्षा में जो तथ्य बताए गए हैं कि महिला शराब बंदी को लेकर खड़ी थी। अर्थात् अभियुक्त शराब बेचने को लेकर 10-12 महिलाएँ नाराज थी। और इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त उक्त महिलाओं के द्वारा शराब बेचने को लेकर ही अभियुक्त की शिकायत की हो। साथ ही इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि विवेचना अधिकारी के द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत झूठा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। क्योंकि अभियुक्त को शराब बेचने को लेकर जो घटना बताई गई, उक्त घटना के कारण विवेचना अधिकारी के द्वारा उसे झूठा फंसाया गया हो, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के पास लोहे की फरसानुमा हथियार बिना वैध अनुज्ञप्ति के रखा।

9— उपर्युक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार फरसानुमा हथियार को अपने आधिपत्य में रखा। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं० 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

10— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे की धारदार फरसानुमा हथियार को अपने आधिपत्य में रखा। इस प्रकार अभियुक्त महेश को आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) के अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में धारा 313 दं०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलका भारमुक्त किए गए। अभियुक्त का धारा 428 दं०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12— प्रकरण में जप्त शुदा एक धारदार फरसानुमा हथियार मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य किया जावेगा।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म०प्र०